राजस्थान सरकार (576)
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 26 FEB 2013

परिपत्र

विषय :— टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत आरक्षित EWS/LIG भूखण्ड/फ्लैट्स के निष्पादन के संबंध में।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टयर से अधिक) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टयर तक) में EWS/LIG हेतु भूखण्ड/फलैट्स आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है। पॉलिसी में EWS/LIG के निर्मित फ्लैट्स हेतु 750 रूपयें प्रति वर्गफिट की दर तय की गई है। तथा EWS/LIG भूखण्ड़ों के आवंटन हेतु टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अनुसार निजी विकासकर्ता द्वारा विक्रय किये गये भूखण्ड़ों की दर को आधार मानते हुये आवंटन किये जाने का उल्लेख है। निजी खातेदारी की योजनाओं में निजी खातेदारों द्वारा भूखण्ड़ आवंटित किये जाने की विक्रय दर की सूचना उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण EWS/LIG श्रेणी के आरक्षित भूखण्ड़ों का आवंटन आवेदकों को नहीं हो पा रहा है।

उक्त स्थिति के मध्यनजर टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के अन्तार्गत निजी विकासकर्ताओं की योजनाओं में EWS/LIG श्रेणी के आरक्षित भूखण्ड़ों के आवंटन हेतु संबंधित जोन/क्षेत्र की आरक्षित दर को आधार मानकर ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के आवेदकों को आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर एवं एल.आई.जी. श्रेणी के आवेदकों को आरक्षित दर की 60 प्रतिशत दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः निजी विकासकर्ताओं की योजनाओं में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के प्रावधानानुसार EWS/LIG श्रेणी हेतु आरक्षित भूखण्ड़ों का योग्य आवेदकों को आवंटन उक्त निर्णयानुसार किया जावें।

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्र क्र. प.3( )जविप्रा/आर. एम. एण्ड सी./ए.एच.पी./2012/डी–394 दिनांक 31.01.2013 के क्रम में प्रेषित है।
7. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव–प्रथम